

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 2 SUB SECTION (ii) OF THE EXTRA
ORDINARY GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJIV GANDHI BHAWAN, NEW DELHI

30th August, 2013

NOTIFICATION

S.O..... whereas helicopter N3 Dauphin VT-PHZ of M/s Pawan Hans Helicopter Ltd. operating flight from Matli to Harsil met with an Accident at Harsil on 28.06.2013.

And whereas it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the accident and make recommendations to avoid re occurrence of such accidents in future.

Now, in exercise of powers conferred by the Rule 11(1) of the Aircraft (Accident and Incident Investigation) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry of the said accident be held.

Central Government is pleased to appoint a Committee of Inquiry headed by Shri B.S. Rai, Deputy Director General, AAIB with following members to inquire into the circumstances of this accident:

1. Shri A.X. Joseph, Assistant Director, AAIB
2. Capt. Rakesh Kapoor, FOI-DGCA

The Committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.



(G. Asok Kumar)
Joint Secretary to Govt. of India

No. AV.15018/25/2013-DG

To,

The Manager,
Govt. of India Press, Mayapuri,
New Delhi

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

३० अगस्त, 2013

अधिसूचना

सा.आ.....जबकि मैसर्स पवन हंस लिमिटेड का हेलीकॉप्टर एन3 डॉफिन वीटी-पीएचजेड मातली से हरसिल के लिए उड़ान प्रचालन के दौरान दिनांक 28.06.2013 को हरसिल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

और जबकि केन्द्र सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त दुर्घटना की तत्काल जांच करने तथा इस गंभीर दुर्घटना के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने हेतु सिफारिशें करने के लिए जांच कराई जाए।

अब, वायुयान नियमावली, 2012 के नियम 11(1) (दुर्घटना तथा घटना की जांच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त गंभीर दुर्घटना की औपचारिक जांच की जाए।


केन्द्र सरकार, दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच करने हेतु श्री बी.एस. राय, उप महानिदेशक, एएआईबी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की जांच समिति नियुक्त करती है:-

1. श्री ए.एक्स. जोसेफ, सहायक निदेशक, एएआईबी
2. कैप्टन राकेश कपूर, एफओआई - डीजीसीए

जब कभी अपेक्षित होगा, समिति अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को छः महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी।



(जी. अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(सं०-एवी-15018/25/2013-डीजी)

सेवा में,
प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी
नई दिल्ली।